

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4346/2022

प्रहलाद मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसा, जिला बारां।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022

आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसा, जिला बारां में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसखेडी, मेवातियां, जिला झालावाड किया गया है, जो बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के एक वर्ष छः माह की अल्पावधि में किया गया है। उसका स्थानान्तरण राजनीतिक प्रभाव में आकर किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन पदोन्नत होने के उपरांत वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था और बिना किसी शिकायत के डेढ़ वर्ष की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ऐसे

स्थानान्तरण आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुचित व अयुक्तियुक्त माना है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि किसी भी राजकीय कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश नियमों के अंतर्गत ही एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसा, जिला बारां में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य